191

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2044—एक/05 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 07.11.05 के द्वारा न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, के प्रकरण कमांक 01/अपील/04—05

.....

1.भोला सिंह तनय श्री अयोघ्या सिंह

2.रामकरण सिह 3.शिवकरण सिह

4.सुरेन्द्र सिह 5. बाबूलाल सिह

6.महेन्द्र सिह पुत्रगण श्री रामबहोर सिंह

सभी निवासीगण ग्राम बकिया बैलो

तहसील रामपुर बघेलना जिला—सतना

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1.शोभनाथ तनय गंगा प्रसाद ब्रा0

निवासी ग्राम बकिया वैलो तहसील

रामपुर बघेलान जिला—सतना म0प्र0

———अनावेदक

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक,अनावेदकगण

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 31/10/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.11.05 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण भोला सिंह ने विवादित आराजी के खसरों में प्रविष्टि करने बावत धारा 115/116 के अंतर्गत तहसीलदार को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जहां पर तहसीलदार के द्वारा आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से दुखे होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायाला में अपील प्रस्तुत की जहां पर प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश से परिवेदति होकर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के यहां शोभानाथ द्वारा अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 7.11.05 अपील स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकरण में मौजूद साक्ष्य पर कतई गौर नही किया कि अनावेदक की आवादी का रकवा भूमि नं 854/10.042 आरे में दर्ज था, परन्तु वगैर किसी अधिकार कि वर्ष 2000–2001 में 0.162 आरे में दर्ज कर दिया गया जो प्रविष्टि सर्वथा अशुद्व प्रविष्टि व अधिकार विहीन प्रविष्टि थी, जिसको धारा 115 एवं 116 के अधीन नायव तहसीलदार का सुधारने का वैधानिक अधिकार था क्यों कि खसरे धारा 114 म.प्र.भू–रा.स के तहत राजस्व अधिकार अभिलेख है जिनको रख रखाव की जिम्मेदारी व अधिकार प्रभार मात्र तहसीलदार को है और ऐसी कोई प्रविष्टि यदि अशुद्ध पाई जाती है तो उसके बाव्त शुद्धीकरण का अधिकार एक मात्र तहसीलदार को है, परन्तु नायव तहसीलदार ने अपने अधिकार का उपयोग सही ढंग से नही किया और आवेदक का आवेदन खारिज किया तब अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता में निर्मित नियमों के अधीन एक विधि सम्मत आदेश पारित किया और प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जिस पर द्वितीय अपील न्यायालय में अवैध रुप से हस्तक्षेप कर तथ्यात्मक व विधिक भूल की है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की साक्ष्य व विधिक प्रश्न मौजूद था किन्तु अनावेदक की आवादी 854/2 व 853/2 मे कायम है इस तरह भूमि नं 854/1 मे भी यानी 3 जगह आबादी दर्ज किये

जाने का कोई प्रशन ही नही उठता परन्तु ऐसा न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि अना पुर्व मे एक –एकड रकवे के भूमिस्वामी घोषित किये जाने का आवेदन किया था और वह रकवा अना0 को हिस्सा बांट में प्राप्त हुआ था, परन्तु इस संबंध में न तो कोई साक्ष्य है और ना ही कोई दस्तावेजी सबूत है परन्तु वगैर किसी बैधानिक कारण के अनावेदक के पक्ष में निष्कर्ष निकालकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की है। प्रकरण में एक मात्र प्रशन यह उत्पन्न है कि हल्का पटवारी ने राजस्व अभिलेखो में वगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही मनमानी रुप से खसरों अना0 का कब्जा 0.042 आरे के स्थान पर 0.162 है0 दर्ज कर दिया जो अपने आप में गलत व अशुद्ध प्रविष्टि है जिसको शुद्ध करने की अधिक़ारिता तहसीलदार को थी और नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त छिबौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.04 सही है अथवा नही परन्तु इस प्रकार गंभीरता से विचार न कर प्रकरण के विवादित प्रशन से बाहर जाकर अनावेदक के स्वत्व व अधिपत्य का गुण दोष पर निराकरण कर द्वितीय अपीलय न्यायालय ने भूल की है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जावे।

4–अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश उचित एवं सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया अध्ययन से स्पष्ट है कि जमांबदी 1958–59 में आराजी क्रमांक 854/1 रकवा 1.70 एकड पर खेतिहार का नाम रामबहोर राजपूत, शोभनाथ, का एवं मुस0 जोजे सरजूराम ब्राहम्ण का नाम दर्ज है। खसरा वर्ष 1969–70 में भूमि स्वामी रामबहोर पिता रामहित दर्ज है तथा काबिज शोभनाथ पिता गंगाराम का 0.200 है0 दर्ज है। एवं खसरा वर्ष 1964–65 से 66–67 के कैफियत कालम में रामबहोर 1.00 एकड़ व शोभनाथ 0.50 एकड जोजे सरजूराम ब्राह0 0.20 एकड़ पर आबादी दर्ज हें अपीलार्थी ने तहसील न्यायालय में दिनांक 15.5.69 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है जिसमतें रामबहोर के द्वारा आवेदित भूमि का 1.00 एकड़ भूमिस्वामी घोषित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 1.00 एकड़ में ही अपना हक व स्वत्व रखते थे। अतः इतनी ही आराजी का स्वत्व उन्हें प्राप्त था। रेस्पोटेंट

ने प्रविष्टि सुधार बावत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसके भूमिस्वामी नहीं है। मात्र भूमिस्वामी के वारिस पुत्र के शपथपत्र के आधार पर आपसी हिस्सेबांट में प्राप्त करना व्यक्त किया है, लेकिन इस संबंध में कोई भी दस्तांवेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट होता है कि आपसी हिस्सा बटनवारा किया गया था। इस तरह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंट का आवेदन पत्र संहिता की धारा 115/116 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता था जिससे प्रविष्टि सुधार की जा सके। इससे स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.8.04 का निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, के प्रकरण कमांक 01/अपील/04–05 में पारित आदेश दिनांक .7.11.05 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर